बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

आदेश

स० स०–17/आइ 01–03/2024 पटना, दिनांक :–

डा० सुनील कुमार, निदेशक (संविदा), इन्दिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना का विभागीय आदेश संख्या–398(17) दिनांक–25.04.2025 द्वारा उनकी 70 वर्ष की आयु पुरी होने तक के लिये नियमित निदेशक, इन्दिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना के पद पर नियुक्ति की गयी है।

2. निदेशक, इन्दिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना के पद पर नियमित नियुक्ति किये जाने के उपरान्त डा० सुनील कुमार के सेवा शर्त्त एवं डा० कुमार को अनुमान्य वेतन एवं भत्ता से संबंधित सूचना उपलब्ध कराने तथा वेतन पूर्जा निर्गत किया जाना अपेक्षित है अथवा नहीं, के संबंध मे महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, बिहार, पटना द्वारा मंतव्य की अपेक्षा की गयी, जिसके आलोक में वित्त विभाग, बिहार, पटना का परामर्श प्राप्त किया गया।

3. उक्त के आलोक में डा० सुनील कुमार का निदेशक, इन्दिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना के पद पर पुनर्नियुक्ति के उपरान्त निम्नवत मासिक मानदेय एवं सेवा शर्त्त अनुमान्य होगा :–

(i) सेवानिवृति के समय प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन + अंतिम वेतन पर महंगाई भत्ता (सेवानिवृति के समय) – पेंशन की राशि + पेंशन की राशि पर महंगाई भत्ता (सेवानिवृति के समय) के आधार पर मासिक मानदेय निर्धारित की जायेगी।

(ii) पुनर्नियुक्ति अवधि में डा० कुमार को मकान भत्ता, परिवहन भत्ता तथा चिकित्सा भत्ता अनुमान्य होगा।

(iii) पुनर्नियुक्ति अवधि मे डा० कुमार का वेतनपुर्जा निर्गत नहीं किया जायेगा।

(iv) सरकारी कार्यवश यात्रा किये जाने की स्थिति मे यात्रा भत्ता एव दैनिक भत्ता उस दर से अनुमान्य होगा, जो उनके धारित पद के लिए एक नियमित सरकारी सेवक को अनुमान्य है।

(v) डा० कुमार को आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त सरकारी सेवको की भाँति क्षतिपूर्ति अवकाश भी अनुमान्य होगा।

4 उक्त में वित्त विभाग, बिहार, पटना का परामर्श एव सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
(रेणु कुमारी)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक–17/आई 01–03/2024– 123(17) **पटना, दिनांक :–** 29.01.26

प्रतिलिपि :– वरिष्ठ लेखा अधिकारी, महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, बिहार, बीरचन्द पटेल पथ, पटना को उनके पत्रांक–GN :010820251001611 GEN No: 0829/2026 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– डा० सुनील कुमार, निदेशक, इन्दिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी।

Estt/D/Rashmish sir/Aadesh